अध्याय–18
जिला आयोजना समिति
(District Planning Committee)

भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाए लगभग ढाई दशक व्यतीत हो गया है। नई आर्थिक व्यवस्था के साथ ही पुराने एवं समाजवादी प्रतिमान की केन्द्रीयकृत नियोजन प्रणाली में भी कमियां सामने आने लगी। स्थानीय स्वशासन एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु पारम्परिक नियोजन प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु दबाव बढ़ा। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु जिला नियोजन एवं खण्ड स्तरीय नियोजन पर जोर दिया गया। मूलतः भारतीय संविधान में संघ सरकार (केन्द्र) तथा राज्यों के मध्य विधायी एवं वित्तीय शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। लेकिन संविधान में जिलों के लिए पृथक से कोई राजनीतिक प्राधिकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जो जिला नियोजन की उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन जिनका सम्बन्ध क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय निकायों से है, के माध्यम से पहली बार संवैधानिक रूप से इन संस्थाओं को कार्य करने हेतु विषय आंवटित किए गए है। ये संस्थाएं इन विषयों के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का निर्माण कर सकती है। जिला एवं इससे निचले स्तरों पर नियोजन इस देश में प्रजातंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व के रूप में देखे गए है। इससे सामाजिक–आर्थिक न्याय प्राप्ति की दिशा में प्रगति होना सम्भव होगा। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (Social Justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों (सभी जातियों एवं वर्गों) को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके अनुसार किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय (Economic Justice) से अभिप्राय है कि देश की कुल सम्पदा का न्यायपूर्ण वितरण हो तथा देश से गरीबी एवं आमजन से जुड़ी अन्य आर्थिक समस्याओं का विधिवत निपटारा हो।

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति से ही देश में नियोजन प्रक्रिया के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में सीमित रूप से प्रयास किये गये है। मुख्यतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा से तात्पर्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में जनता की भागीदारी एवं सम्बद्धता है। इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा उससे नीचे जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तरों पर नियोजन होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त नियोजन तंत्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। नियोजन के इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर योजना संबंधी जानकारी स्पष्ट तथा उचित प्रकार से दी जाये तथा नियोजन के विभिन्न स्तरों के बीच निकट सम्पर्क सूत्र स्थापित किये जायें। इसके अतिरिक्त चूंकि आर्थिक मामलों पर निर्णय लेने की योग्यता तथा शक्ति नियोजन का एक अत्यावश्यक भाग है, अतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा अन्तर्निहित है।

हमारे देश में जिस प्रकार से प्रशासन के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, उसी प्रकार से आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में भी संघीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे देश में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली को उपयुक्त माना गया है जिससे केन्द्रीय नियोजन तथा विकेन्द्रीकृत नियोजन दोनों के लाभ प्राप्त हो सके। देश में सभी लोगों को आर्थिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने के लिए जिला नियोजन व्यवस्था को अपनाया गया है।

जिला स्तरीय नियोजन के अन्तर्गत् एक जिले को नियोजन इकाई माना जाता है। जिलों को विभिन्न खण्डों में विभक्त किया जाता है और खण्डों को भी नियोजन की इकाई माना जाता है। प्रो. डी.आर.गाडगिल के अनुसार नियोजन प्रक्रिया में जिला अन्तिम एवं महत्वपूर्ण इकाई होता है और नियोजन की सफलता में जिला स्तरीय नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला स्तरीय नियोजन के अन्तर्गत जिले में चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रमों की योजना बनायी जाती है। सामान्यतया कृषि, लघु सिंचाई, भूमि सुधार, डेयरी विकास, पशुपालन, ग्रामीण जल आपूर्ति, बाँध निर्माण, उद्योग आदि के बारे में जिला स्तरीय नियोजन के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार किये जाते है।

जिला नियोजन की प्रकृति (Nature of District Plannning) :

जिला नियोजन प्रत्येक जिले में तैयार किया जाने वाला एक ऐसा अभिलेख है जो इस बात की जानकारी देता है कि जिले में वर्तमान में क्या–क्या संसाधन उपलब्ध है, जिले की क्या क्षमताएँ हैं, क्या–क्या आवश्यकताएँ हैं तथा एक निर्धारित अवधि में उपलब्ध वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर जिले में क्या–क्या विकास कार्य कराये जायेंगे तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी। जिला नियोजन की प्रकृति अथवा विशेषताओं को अग्रलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

1. जिला नियोजन विकेन्द्रीकृत नियोजन का स्वरूप होता है।
2. जिला नियोजन में नगरीय व ग्रामीण संस्थाओं द्वारा निर्मित योजनाएँ सम्मिलित होती हैं।
3. जिला नियोजन सम्पूर्ण राज्य की योजनाओं का अंग होता है।

4. जिला स्तरीय नियोजन के लिए एक जिले को नियोजन इकाई माना जाता है तथा जिले के आर्थिक विकास के लिए योजना बनायी जाती है।
5. जिला नियोजन की आवश्यकता उस समय होती है जब देश में बहुस्तरीय आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया जाता है।
6. जिला नियोजन के लिए वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति राज्य सरकार से हाती है तथा केन्द्रीय पोषित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए धनराशि भी राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है।
7. जिला नियोजन के लिए नीति निर्धारण तथा मार्गदर्शन का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के योजना विभाग के निर्देशानुसार ही जिला नियोजन किया जाता है।
8. जिला नियोजन में ग्रामीण विकास, कृषि विकास, पशुपालन, डेयरी विकास, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा प्रसार एवं साक्षरता तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जाते है।

जिला नियोजन के उद्देश्य (Objectives of District Planning):

जिला नियोजन स्थानीय स्तर से सम्बन्धित होता है। इसके उद्देश्य बहुआयामी होते है। जिला स्तरीय नियोजन में एक जिले में उपलब्ध वित्तीय, भौतिक एवं प्राकृतिक साधनों का पूरा–पूरा उपयोग करना होता है। इसके माध्यम से देश एवं राज्यों में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना आसान हो जाता है। जिला स्तरीय नियोजन से योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जन–भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, जिससे कुशलता बढ़ती है। समाज के पिछड़े हुए वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को तेज गति प्रदान किया जा सकता है। जिला स्तरीय नियोजन से विभिन्न विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित हो जाता है। इसके माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे (Below Poverty Line) जीवन–यापन करने वाले लोगों के लिए विकास कार्यक्रम बनाए जा सकते है। जिले में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय नियोजन के लक्ष्यों के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा रहती है। इससे क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर व्यावहारिक योजनाएँ तैयार करना सरल हो जाता है। जिले की क्षमताओं की पहचान करने का यह सशक्त साधन होती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन से जिले की समस्याओं एवं स्थानीय संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से योजनाएँ तैयार करने में तथा जिले की आवश्यकताओं एवं अभावों की प्राथमिकतायें निर्धारित करने में सुविधा रहती है।

जिला नियोजन का क्षेत्र (Scope of District Planning) :

जिला हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। केन्द्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन जिला स्तर पर ही किया जाता है। अतः जिला नियोजन का निर्माण एवं क्रियान्वयन जितना सही एवं प्रभावी होता है, केन्द्रीय व राज्य स्तरीय नियोजन उतना ही सफल रहता है। जिला नियोजन में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवर्तन होता रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जिला नियोजन में सम्मिलित किए जाने वाले कार्यक्रमों के आधार पर हम जिला नियोजन के क्षेत्र को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट कर सकते है :

1. पशुपालन एवं डेयरी विकास
2. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
3. शिक्षा प्रसार कार्यक्रम
4. समाज कल्याण कार्यक्रम
5. सहकारिता का विकास
6. पेयजल आपूर्ति योजनाएँ
7. भूमि सुधार एवं लघु सिंचाई योजनाएँ
8. सघन कृषि कार्यक्रम
9. ग्रामीण उद्योगों का विकास
10. परिवार कल्याण कार्यक्रम
11. पिछड़े वर्गों के विकास के लिए आर्थिक कार्यक्रम
12. साक्षरता कार्यक्रम
13. ग्रामीण सड़कों का निर्माण
14. आवास सुविधाओं के विकास हेतु कार्यक्रम
15. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम
16. स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा औषधालय
17. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
18. सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख रखाव
19. सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी

जिला आयोजना समिति (District Planning Committee) :

लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते आपको देश में जिला स्तरीय नियोजन का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास की जानकारी होना आवश्यक है। ब्रिटिश शासन काल में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई थी। स्वतंत्रता के समय देश गंभीर रूप से पिछड़ा हुआ था। हमारे देश में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने हेतु आयोजना प्रक्रिया का प्रादुर्भाव 1934 में हुआ, जब सर एम.विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक ''प्लाण्ड इकॉनामी फॉर इण्डिया'' प्रकाशित करवाई। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन विकास की अवधारणा का शुभारम्भ 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ हुआ। प्रथम योजना के साथ ही वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित किए गये साथ ही 1956 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी लागू किया गया।

इस अनुभव के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल (1956–1961) में जिला एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे की स्थापना पर बल दिया गया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत सामाजिक संरचना के लिए पंचायतों के माध्यम से कार्य करने के प्रयास भी किये गये। इसी दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की कारगर भूमिका निर्धारण करने हेतु 1957 में बलवन्त राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में पंचायतीराज के त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना करने

के साथ ही साथ विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु संस्तुति की एवं प्रान्त स्तर से नीचे जिले को एक सशक्त स्तर व शासन तंत्र की सक्षम इकाई बनाकर कार्यों एवं अधिकारों के हस्तातंरण पर बल दिया। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1969 में मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रसारित कर सभी राज्यों को जिला नियोजन कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन प्रारम्भ में इसे मूर्त रूप देने में अधिकतर राज्यों के उत्साह में कमी दृष्टिगत हुई।

पंचायतीराज का मूल्यांकन करने एवं इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का दिसम्बर 1977 में गठन किया। इस समिति द्वारा अगस्त, 1978 में प्रस्तुत अपने विस्तृत प्रतिवेदन में ढाँचागत सुधार एवं अन्य सिफारिशों के साथ विकेन्द्रीकृत आयोजना पर अधिकाधिक बल देते हुए स्पष्ट किया कि–

1. जिला स्तर योजना निर्माण के लिए व्यावसायिक दृष्टि से योग्यता धारक एक सक्षम दल के गठन का सुझाव दिया, जिसमें सभी आवश्यक विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाए।
2. जिला स्तर से नीचे विकेन्द्रीकृत प्रणाली का कारगर ढंग से नियोजन एवं क्रियान्वयन कार्य के सम्पादन को आवश्यक बतलाते हुए आधार स्तर की पंचायतों पर मण्डल पंचायत के नाम से गठित करने की संस्तुति की गई।

एम.एल.दांतेवाला (1977) की अध्यक्षता में एक और कार्यकारी दल नियुक्त किया गया, जिसे ब्लॉक स्तरीय आयोजना के लिए मार्गदर्शिका तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। कार्यकारी दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे जो निम्नलिखित है :

1. खण्ड स्तरीय योजना के लिए कृषि, लघु सिंचाई, भू–संरक्षण, पशुपालन, वनारोपण आदि कुल 12 कार्यक्रमों की एक सांकेतिक सूची भी तैयार की गई जिनके लिए उन योजनाओं में प्रावधान किये जाने की सिफारिश की गई।
2. दल ने पंचायतीराज संस्थाओं का आयोजना निर्माण एवं क्रियान्विति में सीधी भागीदारी का सुझाव दिया जिससे अधिक जनभागीदारी आकर्षित करने का वातावरण बनाया जा सके।
3. स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से योजनाएँ बनाई जाने व क्रियान्वित करने के लिए सुझाव दिये गये।
4. दल द्वारा जिला स्तरीय योजना शाखा के मुख्य कार्यों का भी उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार संसाधनों का आंकलन, आँकड़े एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, क्षेत्र की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का चिन्हीकरण करना आदि सम्मिलित हैं।
5. कार्यकारी दल ने जिला स्तर पर मुख्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित करने की सिफारिश की।

केन्द्र सरकार द्वारा बार–बार किये गये उपर्युक्त प्रयास के उपरान्त भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि कतिपय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव से विकेन्द्रीकरण की गति धीमी रही एवं विकेन्द्रीकृत आयोजना की व्यवस्था सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी।

1982 में योजना आयोग ने हनुमन्ता राव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया, जिसने अपना प्रतिवेदन आयोग को मई, 1984 में प्रस्तुत किया। इस दल ने अपनी सिफारिशों में हर स्तर पर विकेन्द्रीकृत आयोजना निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये :

1. विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए संस्थानिक ढांचे को सुदृढ़ बना कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता प्रदान करना।
2. जिले को बहुस्तरीय योजना ढांचे का भाग माना जाये।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए संयुक्त योजना बनाना।
4. जिला सेक्टर को आवंटित धन राशि का बंटवारा एक उद्देश्य आधारित फार्मूले के आधार पर करने का सुझाव दिया।

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग में अप्रेल, 1993 को एक आदेश प्रसारित करते हुए जिला स्तर पर जिला आयोजना प्रकोष्ठ गठित करने का मार्ग प्रस्तुत किया । यह प्रकोष्ठ जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए जिले की वार्षिक योजना तथा विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के सबंध में निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी प्राप्ति का अध्ययन करता रहा, किन्तु वास्तविक रूप से जिला आयोजना निर्माण में स्वतंत्र तथा प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका। भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन लागू होने पर वर्ष 1993 में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं (पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों) को संवैधानिक मान्यता मिली है। संविधान के अनुच्छेद 243(जी) के अनुसार ''आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना तैयार करना'' इन संस्थाओं का अहम संवैधानिक दायित्व है। संविधान के 74वें संशोधन का अनुच्छेद 243(जेड डी) जिला स्तर पर जिला अयोजना समिति के गठन का निर्दश देता है। जिसका दायित्व स्थानीय संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये वार्षिक योजना प्रस्तावों को समेकित कर, सम्पूर्ण जिले का ड्राफ्ट डवलपमेंट प्लान (विकास योजना प्रारूप) तैयार करना है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अनुसरण में प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा 10 जुलाई, 1996 को किया गया। पंचायतीराज नियम,1996 के नियम 350, 351 एवं 352 में जिला आयोजना समिति के गठन, निर्वाचन, शक्तियाँ एवं कार्यों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। आगे समय–समय पर विभाग इन समितियों का पुनर्गठन करता रहता है।

जिला आयोजना समितियों का गठन :

राजस्थान में जिला आयोजना समितियों का गठन करने हेतु अग्रलिखित प्रावधान किये गए है :

1. जिला आयोजना समितियों का गठन ''राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994'' की धारा 121 के अन्तर्गत होगा।
2. प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना समिति होगी जिसमें

कुल 25 सदस्य होंगे।

3. 20 सदस्य संबंधित जिले की जिला परिषद् तथा नगर पालिकाओं में से निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
4. निर्वाचित सदस्यों का अनुपात जिले की नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर होगा अर्थात् किसी जिले की शहरी जनसंख्या अधिक होने पर नगरपालिकाओं से तथा ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने पर जिला परिषद् से अधिक सदस्य लिये जा सकेंगे।

   (उदाहरण के लिए जयपुर में 11 जिला परिषद् एवं 9 नगरपालिकाओं से, अजमेर में 12 जिला परिषद् एवं 8 नगरपालिकाओं से, जोधपुर में जिला परिषद् से 13 एवं 7 नगरपालिकाओं से, उदयपुर में 16 जिला परिषद् एवं 4 नगरपालिकाओं से, कोटा में जिला परिषद् से 10 एवं नगरपालिकाओं से 10 सदस्य चुने जाते है।)
5. निर्वाचित सदस्य उसी रीति से चुने जायेंगे जैसे पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थाई समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होता है।
6. निर्वाचन हेतु समय व दिनांक की सूचना कम से कम सात दिन पहले जिला परिषद् एवं जिले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को दी जाएगी। नगरपालिकाओं में नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पालिका मण्डल सम्मिलित है।
7. जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला प्रमुख होगा।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी समिति का सदस्य सचिव होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा पांच सदस्य मनोनीत होंगे जिसमें जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) तथा जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थाई रूप से पदेन सदस्य होंगे तथा दो सदस्य जिले के सांसद/विधायक या स्वैच्छिक संगठनों से मनोनीत किये जायेंगे।

जिला आयोजना समितियों की शक्तियाँ एवं कार्य :

जिला आयोजना समिति, पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं का संकलन कर, संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार कर, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी। समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय स्थानीय आयोजना में ऐसे विषयों का समावेश करेगी जो ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों के सामान्य हितों से संबंधित हो, जैसे जल, भौतिक व प्राकृतिक साधन तथा पर्यावरण आदि।

मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना समिति का सचिव होता है। जिला आयोजना प्रकोष्ठ (शाखा) जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी के अधीन समिति के सचिवालय का कार्य करती है तथा पंचायतीराज विभाग जिला आयोजना समिति का प्रशासनिक विभाग है।

कार्य :

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार जिला आयोजना समितियों के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये है –

1. आवश्यकतानुसार समिति की बैठक आमंत्रित कर विचार–विमर्श करना।
2. पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा वार्षिक योजना तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगरपालिकाओं की सामान्य बैठक के अनुमोदन के पश्चात जिला आयोजना समिति को भेजने हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना
3. योजना निर्माण हेतु विभागों को आधारभूत सूचनाएं संकलित कर भेजने हेतु निर्देश जारी करना।
4. जिला स्तर पर हर विभाग में योजना कार्य हेतु समन्वय

जिला आयोजना समिति की संरचना

जिला प्रमुख (पदेन अध्यक्ष)

- निर्वाचित सदस्य (ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित)
- (20)पदेन सदस्य (03)
  1. कलक्टर
  2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  3 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद्)
- मनोनीत सदस्य (02) सांसद/विधायक/स्वैच्छिक संगठन
- सदस्य सचिव (मुख्य आयोजना अधिकारी) जिला आयोजना प्रकोष्ठ (सचिवालय)

अधिकारी निश्चित करना।

5. सस्थाओं, संगठनों, तकनीकी अधिकारियों से योजना के संबंध में परामर्श करना।
6. स्थानीय भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों के उपर्युक्त विकास को ध्यान में रखते हुए प्राप्त वार्षिक योजनाओं को एकीकृत करना।
7. पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखना।
8. ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के विकास की योजना बनाना।
9. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की योजना को समन्वित कर जल व अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन निर्धारित करना।
10. गत वर्ष की योजना राशि के 125 प्रतिशत के बराबर योजना प्रस्ताव तैयार करना।
11. जिले के भौगोलिक एवं प्राकृतिक साधनों के दोहन और आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
12. गत वर्ष के अनुपयुक्त राशि हेतु नये वर्ष की प्राथमिकता के अनुसार योजना प्रास्तावित करना।
13. पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित के विषयों का ध्यान रखना।
14. उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य स्त्रोत के विस्तार का ध्यान रखना।
15. योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करना।
16. कोई अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजना समिति को सौंपा जाए उसे पूर्ण करना।

जिला आयोजना समितियों की शक्तियाँ :

जिला आयोजना समितियों को राज्य सरकार द्वारा अग्रलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई है :

1. जिला आयोजना समिति जिला स्तर पर योजना तैयार करने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं, नगरपालिकाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।
2. उपयुक्त संस्थाओं व अधिकारियों से विकास कार्यों से संबंधित सूचनाएं मंगवा सकेगी एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी समिति द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाऐंगे।
3. गत वर्ष की उपयुक्त एवं उपलब्ध राशि हेतु पुनः योजना बना सकेगी।

वर्ष 1996 की अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी जिलों में, निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से जिला आयोजना समितियाँ गठित की जा चुकी है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में जिला आयोजना समिति एक संवैधानिक (Constitutional) संस्था है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत नीति आयोग (NITI Aayog) एक गैर–संवैधानिक संस्था है। वर्ष 1993 में संसद द्वारा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके अनुसार जिला आयोजना समितियों के गठन एवं ग्रामीण व नगरीय निकायों द्वारा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने के आदेशात्मक प्रावधान किये गये है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दृष्टिपत्र में भी यह चिंता व्यक्त की गई है कि पंचायतों को न तो कारगर ढंग से, सत्ता, कार्यों एवं वित्तीय संसाधनों का हस्तान्तरण ही किया गया है एवं न ही उन्हें यथेष्ट संसाधन, करों द्वारा वसूल करने के लिए ही अधिकृत किया है। ये वस्तुतः विचारणीय विषय है कि गत वर्षों से लगातार योजना आयोग के निर्देशों एवं अनेकानेक समितियों एवं कार्यकारी दलों की सिफारिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदि कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य कई राज्यों ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठायें है।

जिला आयोजना समिति की समस्याएँ :

जिला स्तर पर नियोजन की महत्ता पर बारम्बार बल दिया जाकर इसकी आवश्यकता को अनुभव किया जाता रहा है, लेकिन जिला आयोजना अभी भी व्यावहारिक अर्थात वास्तविक रूप नहीं ले सका है। विभिन्न समितियों, कार्यदलों आदि में इस हिस्से का गहराई से अध्ययन कर विभिन्न सुझाव दिये है, किन्तु उनके अनुरूप बहुत कम ठोस उपाय किये गये है। राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समितियां गठित हो चुकी है। समितियों का गठन जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था, उसे मूर्तरूप देने में अभी भी कई प्रमुख कठिनाइयां अनुभव की जा रही है।

राजस्थान में जिला आयोजना समितियों की असफलता के विभिन्न कारण रहे है। कुछ प्रमुख समस्याओं पर अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है। इनका संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित है :

1. समुचित प्रशिक्षण का अभाव :

राज्य में विकेन्द्रीकृत आयोजना का कार्य नया होने तथा इस हेतु उत्तरदायित्व निभाने के लिए चिन्हित अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को कोई पूर्व अनुभव नहीं होने के कारण विकेन्द्रीकृत आयोजना को समझने एवं लागू करने में समर्थ नहीं हो रहे है। समिति के सदस्यों के लिए योजना निर्माण प्रक्रिया संबंधित प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है। उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है।

2. दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव :

राज्य सरकार ने जिला आयोजना समितियों का गठन तो कर दिया है लेकिन सरकार ने समिति को न तो पूर्ण अधिकार दिये है, और न ही समुचित संसाधन उपलब्ध करवाये है। ऐसी स्थिति में जिला आयोजना समिति से जिला आयोजना तैयार करवाना केवल कागजी कार्यवाही मात्र ही रहेगा। सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में समिति अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है।

3. वित्तीय संसाधनों के हस्तान्तरण का अभाव :

जिला स्तर पर उपयुक्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है। किसी भी स्थानीय निकाय को यह स्पष्ट पता नहीं होता है कि जिस वित्तीय वर्ष की विकास योजनाएं बनाई जा रही है, उस में कितना बजट उन्हें मिलने वाला है जो संभावित बजट का आंकलन विगत वर्षों के आधार पर करते भी है। यह किसी न किसी योजना बंधा होता है। उदाहरण के तौर पर केन्द्र सरकार की ग्रामीण रोजगार अथवा गरीबी उन्मूलन योजनाएं। अतः निर्बन्ध राशि बगैर प्राप्त किये वित्तीय संसाधनों की निश्चितता के अभाव में – स्थानीय विकास योजना बनाने की सार्थकता पर

सवालिया निशान लगाना स्वाभाविक है।

4. जिला आयोजना प्रकिया में समन्वय का अभाव :

संवैधानिक आवश्यकता के विपरीत वर्तमान में जिला आयोजना, ग्रामीण व नगरीय निकायों की आयोजना का एकीकरण न हो कर जिले में कार्यरत विभागों की वार्षिक योजना को जारी करने की प्रक्रिया मात्र है जिसे जिला आयोजना का नाम अपने मन में भारी भ्रम पालने जैसी स्थिति है। ये योजना तो विभागीय स्तर पर बनकर राज्य आयोजना विभाग और योजना आयोग से अनुमोदित हो जाती है, उसके अनुमोदित आँकड़ों को संकलित कर उसे जिला आयोजना कहना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है।

इस प्रक्रिया से जो भी तथाकथित जिला आयोजना प्रारूप जिलों से राज्य आयोजना विभाग को प्राप्त होते है, वह संबंधित वर्ष में आधी योजना के क्रियान्वित हो जाने के पश्चात उस वर्ष के नवम्बर, दिसम्बर माह तक प्राप्त होते है जिससे इन्हें राज्य आयोजना में शामिल कर के, राज्य की वार्षिक योजना तैयार करने का तो प्रश्न ही नहीं होता है।

वर्तमान में जिला आयोजना प्रक्रिया न तो पिछली कड़ी–ग्राम योजना पर आधारित होती है और न ही अगली कड़ी राज्य आयोजना में जुड़ाव बना पाती है, परिणामतः यह महज एक औपचारिक व कागजी कार्यवाही बनकर रह जाती है। जिसके लिए अनावश्यक श्रम व धन का अपव्यय हो रहा है।

5. विशय विशेषज्ञों का अभाव :

वर्तमान में न तो स्थानीय संस्थाओं में न ही जिला आयोजना समिति के स्तर पर आयोजना निर्माण की प्रक्रिया के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। जिला आयोजना समिति के सदस्य सचिव को भी तकनीकी विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः जिला आयोजना पंचायत आधारित योजना, ब्लॉक आयोजना व नगर पालिका आयोजना निर्माण एवं इनका जिला आयोजना समिति स्तर पर एकीकरण करने हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ कोर टीम का गठन किया जाना चाहिए जिनमें अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, अभियंता, नियोजन, विशेषज्ञ, प्रबन्धक, परियोजना विशेषज्ञ तथा स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधियों को जोड़ने तथा इनका स्वैच्छिक परामर्श व जुड़ाव सतत् रूप से प्राप्त करने के प्रयास कर आयोजना प्रक्रिया को सम्बल देने की आवश्यकता है। इन विशेषज्ञ समूह में सेवारत व सेवानिवृत दोनों प्रकार के अनुभवी लोगों को जोड़ा जा सकता है।

6. प्रचार–प्रसार का अभाव :

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों को आयोजना निर्माण की जानकारी नहीं होती है। जिसके अभाव में योजना निर्माण का कार्य निचले स्तर पर नहीं हो पाता है। जिला आयोजना समितियों के सदस्यों व स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता तथा न ही आयोजना प्रक्रिया के बारे में जानकारी होती है। अतः सरकार को व्यापक स्तर पर इसका प्रचार–प्रसार करना चाहिए। जिसमें सदस्यों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान हो सके।

7. मॉनिटरिंग का अभाव :

जिला आयोजना समिति के गठन के पश्चात राज्य सरकार समितियों के कार्यों की समय–समय पर उच्च स्तर पर समीक्षा नहीं कर पा रही है, जिससे आयोजना निर्माण का कार्य उचित ढंग से सम्पन्न नहीं हो रहा है।

8. जिला आयोजना समिति का अपूर्ण गठन :

राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजना समितियों में जो सदस्य मनोनीत किये जाने थे उनका मनोनयन ज्यादातर जिलों में नहीं किया गया है। जो कि राज्य सरकार की उन समितियों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। यद्यपि राजस्थान में वर्तमान में सभी जिलों में इन समितियों का गठन हो गया है, लेकिन भारत के कई राज्यों में सभी जिलों में अभी इनका गठन नहीं किया गया।

9. अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य समन्वय एवं संचार का अभाव :

जिला आयोजना समितियों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य आपसी समन्वय एवं संचार के अभाव के कारण समिति अपने अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। अधिकारी वर्ग द्वारा जनप्रतिनिधियों के विचारों को महत्व नहीं दिया जाता तथा संपूर्ण अधिकारों का उपयोग स्वयं करते है।

10. **शक्तियों के हस्तानान्तरण का अभाव** :

संविधान की धारा 243(जी) में राज्य विधायिकाओं पर स्थानीय संस्थाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का दायित्व है जिसके फलस्वरूप ये संस्थाएं स्वशासन की संस्थाओं के रूप में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं बना सके एवं इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकायों को संविधान की अनुसुची 11 एवं 12 में वर्णित विषयों को अभी तक पूर्ण रूप से हस्तानान्तरित नहीं किया है। इसी प्रकार जिला आयोजना समिति को भी आयोजना निर्माण की पूर्ण शक्तियां नहीं दी गई है जिससे जिला आयोजना का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है।

11. कर्मचारियों की अप्रयाप्तता :

जिला आयोजना सचिवालय में प्रर्याप्त मात्रा में स्टाफ न होने के कारण जिला आयोजना से संबंधित आधारभूत सूचनाएं संकलित नहीं हो पा रही है। तथा जो निर्णय लिए जाते है उनकी क्रियान्विति भी सही समय पर नहीं हो पाती है, इससे समिति के कार्यों में व्यवधान आता है।

सुझाव :

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य में जिला आयोजना समिति को मूर्तरूप देने में अभी भी कई प्रमुख समस्याओं एवं कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है इसलिए जिला आयोजना समिति को प्रभावशाली बनाने हेतु
अग्रलिखित सुझाव दिये जाते है :

1. समिति में पर्याप्त संख्या में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना
2. आयोजना प्रक्रिया का सरलीकरण करना?
3. वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करना
4. प्रतिनिधियों एवं कार्मिक वर्ग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
5. समिति में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना

6. समिति का पूर्ण गठन करना
7. आयोजना निर्माण में अपेक्षित जनसहयोग प्राप्त करना
8. जनप्रतिनिधियों की पूर्ण भागीदरी सुनिश्चित करना
9. योजना निर्माण में सहयोग के लिए उपसमितियों का गठन करना
10. समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेने का प्रावधान करना
11. योजना अनुभागों का सुदृढ़ीकरण करना
12. योजनाओं की समीक्षा के लिए मॉनिट्रिंग (अनुश्रवण) की व्यवस्था करना
13. समितियों के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना
14. पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार देना
15. समिति की बैठक को नियमित व अनिवार्य करना।

राजस्थान में जिला आयोजना समितियों का कार्यकरण :

नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग), भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान को राज्य योजना के साथ–साथ जिला योजना तैयार करना भी अनिवार्य है। राज्य में पंचायतीराज के अधीन सृजित जिला आयोजना प्रकोष्ठ के माध्यम से स्वायत–शासन विभाग के सक्रिय सहयोग से वार्षिक जिला योजना तैयार की जाती है। राज्य में ये योजनाएं ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति स्तर पर तैयार की जाकर जिला योजना में सम्मिलित की जाती है। राज्य के सभी 33 जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन किया जा चुका है। राज्य में जिला योजना के लिए 17 प्राथमिक सेक्टर्स का चयन किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन कर उनमें योजनाओं हेतु प्रस्ताव लिए जाते है तथा इन प्रस्तावों को व्यवस्थित कर आगे भिजवाया जाता है। राज्य में ग्रामीण स्तर से जिला योजना निर्माण के प्रयास आरम्भ हो गये है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रलिखित संस्थागत व्यवस्था की गई है :

1. राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया हैं।
2. जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय जिला आयोजना समन्वय उपसमिति का गठन किया गया है।
3. उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) की अध्यक्षता में एक उपखण्ड स्तरीय आयोजना समन्वय उपसमिति का गठन किया गया है।

निष्कर्ष :

राजस्थान सहित अनेक राज्यों में संवैधानिक बाध्यता के कारण विभिन्न जिलों में जिला नियोजन समितियाँ तो गठित हो गई है लेकिन अभी ये सशक्त ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। आम जनता को तो इन समितियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भी अभी पूरी तरह इनमें सुधार हेतु प्रयास आरंभ नहीं किये गये है। अधिकतर राज्यों में इनके कार्मिक संसाधन में सुधार हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये है। इनमें तकनीकी विशेषज्ञता के समावेश हेतु कोई गंभीर प्रयत्न नहीं हुए है। 74वें संविधान संशोधन का अनुच्छेद 243 (जेड–डी) में जिला स्तर पर जिला आयोजना समितियों की संरचना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। यहां भारत सरकार के योजना आयोग (अब नीति आयोग) का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि योजना आयोग गैर संवैधानिक इकाई होने के बावजूद काफी प्रभावशाली रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के कुछ जिलों की, जिला आयोजना समितियों का अध्ययन किया गया, जिससे पता चलता है कि उनका गठन तो हुआ लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो विषय विशेषज्ञ मनोनीत किये जाने थे, वे आज तक मनोनीत नहीं हो पाये। वास्तविकता यह है कि जिला आयोजना समिति निष्क्रिय बनी हुई है। लेकिन इससे हमें निराशाजनक निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। वास्तव में समय के साथ ये समितियाँ प्रभावशाली व कुशल ढंग से कार्य करने में सक्षम हो जायेगी। विकेन्द्रीकृत नियोजन का लक्ष्य भी सही अर्थ में तभी पूर्ण होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दू

1. राजस्थान में बलवन्त राय मेहता समिति के सुझाव पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरम्भ हुई।
2. प्रो.डी.आर.गाडगिल के अनुसार नियोजन प्रक्रिया में जिला अन्तिम एवं महत्वपूर्ण इकाई होता है और नियोजन की सफलता में जिला स्तरीय नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. जिला नियोजन में नगरीय एवं ग्रामीण संस्थाओं द्वारा निर्मित योजनाएं सम्मिलित होती है।
4. इसके लिए नीति निर्धारण तथा मार्गदर्शन का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के योजना विभाग के निर्देशानुसार ही जिला नियोजन किया जाता है।
5. जिला हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की अन्तिम तथा महत्वपूर्ण कड़ी होता है। केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन जिला स्तर पर ही किया जाता है। अतः जिला नियोजन का निर्माण एवं क्रियान्वयन जितना सही एवं प्रभावी होता है, केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय नियोजन उतना ही सफल रहता है।
6. विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1969 में मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रसारित कर सभी राज्यों को जिला नियोजन का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दे दिये थे। लेकिन प्रारंभ में इसे मूर्तरूप देने में मुख्य रूप से अधिकांश राज्यों के उत्साह में कमी दृष्टिगत हुई।
7. राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग में अप्रैल, 1991 को एक आदेश प्रसारित करते हुए जिला स्तर पर जिला आयोजना प्रकोष्ठ गठित करने का मार्ग प्रस्तुत किया।
8. संविधान के अनुच्छेद 243(जी) के अनुसार ''आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना तैयार करना'' इन संस्थाओं का अहम संवैधानिक दायित्व है।
9. जिला आयोजना समितियों का गठन ''राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994'' की धारा 121 के अन्तर्गत् किया गया है।

10. राजस्थान के सभी 33 जिलों में जिला आयोजन समितियों का गठन किया जा चूका है।
11. राजस्थान में जिला आयोजन समितियों के सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समन्वय समितियों का गठन क्रमशः अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), जिला कलक्टर तथा उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) की अध्यक्षता में किया गया है।
12. जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला प्रमुख होगा।
13. योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में स्थानीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
14. भारत में जिला आयोजना समिति एक संवैधानिक (Constitutional) संस्था है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत नीति आयोग (NITI Aayog) एक गैर–संवैधानिक संस्था है।
15. वर्ष 1993 में संसद द्वारा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके अनुसार जिला आयोजना समितियों के गठन एवं ग्रामीण व नगरीय निकायों द्वारा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने के आदेशात्मक प्रावधान किये गये है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है ?
(अ) जिला प्रमुख
(ब) जिला कलैक्टर
(स) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(द) एस.डी.एम.

2. आजकल नीति आयोग किस विचार पर जोर दे रहा है ?
(अ) योजना प्रक्रिया के केन्द्रीयकरण
(ब) योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण
(स) योजना प्रक्रिया को निरस्त करने
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है ?
(अ) संघीय आर्थिक प्रणाली
(ब) राज्य स्तरीय आर्थिक प्रणाली
(स) जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली
(द) सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली

4. जिला नियोजन का उद्देश्य नहीं है :
(अ) जिले के उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना
(ब) क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना
(स) विभिन्न विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करना
(द) जिले की समताओं की पहचान करना

5. विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु योजना आयोग द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त कब प्रसारित किये गये–
(अ) 1969 (ब) 1972
(स) 1976 (द) 1980

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. जिला नियोजन की प्रकृति समझाइए।
2. पंचायती राज का मूल्यांकन करने हेतु मेहता समिति का गठन कब किया गया।
3. जिला आयोजना प्रकोष्ठ कब गठित किया गया।
4. पंचायती राज नियम के किस प्रावधान द्वारा जिला आयोजना समिति के गठन,निर्वाचन,शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार किया गया।
5. जिला आयोजना समितियों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्नः

1. जिला नियोजन की प्रकृति की कोई तीन विशेषताएं बताइये।
2. जिला आयोजना समिति को कोई चार समस्याएं बताइये।
3. जिला आयोजन समिति को प्रभावशाली बनाने हेतु चार सुझाव बताइये।
4. जिला नियोजन का क्षेत्र समझाइये।

5. राजस्थान में जिला आयोजन समिति के गठन से संबंधित प्रावधान बताइये।

निबंधात्मक प्रश्न :

1. जिला आयोजना समिति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
2. जिला आयोजना समिति की प्रमुख समस्याएं कौन–कौन सी है।
3. जिला नियोजन की प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला

1. (अ) 2. (ब) 3. (स)
4. (अ) 5. (अ)